रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 27 जून, 1974
आषाढ़ 6 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 1855/सत्रह–वि0–1—9-1974
लखनऊ, 27 जून, 1974

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 24 जून, 1974 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) अधिनियम, 1974

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1974]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, 1962 को निरस्त करने के लिए — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1962

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम — 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1962 का निरसन तथा अपवाद — 2—(1) उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, 1962 को जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, 1 अप्रैल 1967 से एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 1, 1904 — (2) यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 6 के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निरसन से, निरसन पूर्व की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या लगाये गये कर की वसूली के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा शक्तियां अथवा अधिकारिता का बराबर प्रयोग करते रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।